मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11(2)-98-1-10 भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.— लोकायुक्त संगठन से पत्र व्यवहार एवं शिकायतों की जांच के लिये भेजने के संबंध में.

लोकायुक्त संगठन से पत्र व्यवहार एवं जांच हेतु प्रकरण सौंपने की प्रक्रिया के संबंध में ज्ञापन क्रमांक एफ-11 (140)-92/1-10, दिनांक 13-10-92, एफ-11(16)-94-1-10, दिनांक 4-7-94 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-11(9)-96-1-10, दिनांक 10-5-96 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं.

2. इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि शासन ने विभाग स्तर से नीचे किसी कार्यालय द्वारा किसी प्रकरण में शिकायत की जांच लोकायुक्त संगठन से कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसे प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को भेजे जाने चाहिए. प्रशासकीय विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर उनकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए. उसके बाद ही प्रकरण को लोकायुक्त संगठन को जांच के लिये अनुरोध पत्र भेजा जा सकता है.

3. इन निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोकायुक्त महोदय को व्यक्तिगत रूप से अथवा सीधे उन्हें संबोधित कर पत्र नहीं भेजा जाना चाहिये. लोकायुक्त संगठन में विभागाध्यक्ष के रूप में "सचिव" का पद विद्यमान है. अत: लोकायुक्त संगठन से किया जाने वाला समस्त पत्र व्यवहार सचिव, लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल को संबोधित कर भेजा जाये.

4. शासन के ध्यान में आया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा लोकायुक्त को सीधे संशोधित कर प्रकरण जांच के लिये भेज दिये गये हैं. यह उचित नहीं है.

5. शासन की अपेक्षा है कि लोकायुक्त संगठन से पत्राचार करते समय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया तथा शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाये.

हस्ता./
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ-11(2)-98-1-10 भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 1998

प्रतिलिपि :—

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 6876/शिशाखा/98, दिनांक 9-1-98 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित.
2. समस्त निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.